



इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम)
IRCON INTERNATIONAL LIMITED
(A Govt. of India Undertaking)
An integrated Engineering and Construction Company



IRCON/SECY/STEX/124

5th September, 2022

BSE Limited Listing Dept./ Dept. of Corporate Services Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street Mumbai – 400001 बीएसई लिमिटेड लिस्टिंग विभाग / कॉर्पोरेट सेवा विभाग पी. जे. टावर्स, दलाल स्ट्रीट, मुंबई- 400001 Scrip code / ID: 541956 / IRCON	National Stock Exchange of India Limited Listing Department Exchange Plaza, Plot no. C/I, G Block Bandra –Kurla Complex, Bandra (East) Mumbai – 400051 नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड लिस्टिंग विभाग एक्सचेंज प्लाजा, प्लॉट नं सी / आई, जी ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व) मुंबई-400051 Scrip Code: IRCON
--	---

Ref: Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015/ सेबी (सूचिबद्ध दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाए) विनियमन, 2015 के विनियमन 30

Sub: Re-appointment of Statutory Auditor for the FY 2022-23/ वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए सांविधिक लेखा परीक्षक की पुनर्नियुक्ति।

Dear Sir/ Madam, महोदय / महोदया,

Pursuant to Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, it is to inform that in exercise of the powers conferred by Section 139 of the Companies Act, 2013, the Office of the Comptroller and Auditor General of India (C&AG) vide their letter no. CA.V/COY/CENTRAL GOVERNMENT, IRLYCC(1)/493 dated 30th August, 2022 has reappointed M/s HDSG & Associates, (DE0987), as Statutory Auditors of the Company for the financial year 2022-23 . Statutory Auditors shall also be the auditors of the Consolidated Financial Statement under Section 139 read with Section 129 (4) of the Companies Act, 2013.

सेबी (सूचिबद्ध दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाए) विनियमन, 2015 के विनियमन 30 के तहत यह सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (C&AG) ने अपने पत्र सं. CA.V/COY/CENTRAL GOVERNMENT, IRLYCC(1)/493 दिनांक 30 अगस्त, 2022 द्वारा मेसर्स एचडीएसजी एंड एसोसिएट्स, (DE0987) को वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए भी कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों के रूप में नियुक्त किया है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 139 के तहत सांविधिक लेखापरीक्षक समेकित वित्तीय विवरण के लेखापरीक्षक भी होंगे।

कृपया उपरोक्त जानकारी को रिकॉर्ड पर लें।

धन्यवाद,

भवदीया,

कृते इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड

(रितु अरोड़ा)

कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

सदस्यता क्र.: FCS 5270

